

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

सीन अधिकारी :- राहुल जैन

सं. 48/2019

उनवान

1. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री नन्दकिशोर खण्डेलवाल, उम्र 47 वर्ष, जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. 2/1, विद्याधर नगर जयपुर शहर जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जांगिड, जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर।

-मुख्य प्रतिवादीगण-

3. श्रीमती कजोडी देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
4. गोपाल पुत्र स्व. रामचन्द्र
5. अशोक पुत्र स्व. रामचन्द्र
6. माधव प्रसाद पुत्र स्व. रामचन्द्र
7. चिमनलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र
8. मीना पुत्री स्व. रामचन्द्र
9. सीता पुत्री स्व. रामचन्द्र
10. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भीमराज,
11. हेमन्त कुमार पुत्र भीमराज,
12. मधु पुत्री भीमराज
13. प्रिया पुत्री भीमराज

समस्त जाति जांगिड-ब्राह्मण निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।

परफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 12.10.2021

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से दिनांक 08.10.2021 को कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट फतेहपुरा में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। शेष प्रतिवादीगण वाकजूद सुचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर तहसीलदार तहसील चौमूं से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए सहमति जाहिर की गई हैं। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 08.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि हाल खाता सं. 419 जिसके आराजी खसरा नम्बर 2885 रकबा 0.05 खसरा नम्बर 2910 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 2911 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2914 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 2915 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.13 हैक्टर कुल कित्ता 6 का कुल रकबा 1.13 हैक्टर भूमि वाके ग्राम चीथवाडी, पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर


गवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र नन्दकिशोर खण्डेलवाल जाति महाजन प्लॉट नम्बर 2/1 विद्याधर नगर जयपुर को ख.न. 2885 रकबा 0.0500 है० किस्म बारानी ए, ख०न० 2911 रकबा 0.1400 है० किस्म बारानी ए, ख०न० 2910/2 रकबा 0.3750 है० किस्म बारानी ए किता 03 का कुल रकबा 0.5650 हैक्ट, है, जो संलग्न नजरी नक्शों में लाल रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. किशनलाल पुत्र रामप्रताप जांगिड जाति जांगिड ब्राह्मण सा. देह को ख.न. 2910/1 रकबा 0.2150 है० किस्म बारानी ए, ख०न० 2914 रकबा 0.1100 है० किस्म बारानी ए, ख०न० 2915 रकबा 0.1100 है० किस्म बारानी ए, ख०न० 2916 रकबा 0.1300 है० किस्म बारानी ए किता 04 का कुल रकबा 0.5650 हैक्ट, है, जो संलग्न नजरी नक्शों में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर